1028 P09

कार्यालय, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि)किशनगंज।

–: सैरात बन्दोबस्ती आम सूचना :–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि) ठाकुरगंज के बाजार प्रगण में राजस्व हाट राजस्व की प्राप्ति के हीत में प्रशसक कृषि विनणन (वि). बिहार पटना के स्वीकृति की प्रतित्या में निम्नलिखित हाट ठाकुरगंज के बाजार प्रगण के सैरात की बन्दोबस्ती वर्ष 2019–20 के लिए खुलीडाक के माध्यम से अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में अपराह्न 2:00 बजे की जायेगी। प्रथम निर्धारित तिथि को बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में द्वितीय एवं तृतीय तिथि को की जायेगी। यदि आवश्यकता हुई तो अगले प्रत्येक कार्य दिवस में सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई होगी।

क्र0	सैरातों का नाम	अंचल का नाम	सुरक्षित जमा राशि	बन्दोबस्त पदाधिकारी	डाक की निर्धारित तिथि			
					प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	ठाकुरगंज बाजार प्रांगण	ठाकुरगंज	841000.00	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज	02.07.2019	05.07.2019	09.07.2019	प्रत्येक कार्य दिवस

अनुमण्डल पदाधिकारी, –सह–
विशेष सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि)किशनगंज।

डाक की शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
2. थानाध्यक्ष द्वारा जारी आचरण प्रमाण–पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमण्डल/अंचल/नगर परिषद से बकाया रहित प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
4. किसी भी हाट /घाट लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। साथ ही उनके निकट भाई, भतीजा,बेटा को भी डाक में भाग लेने नही दिया जायगा। उपरोक्त राजस्व हाटों की बन्दोवस्ती वर्तमान मे स्थित राजस्व हाट की जितनी जमीन है जैसी है उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अन्दर हीं की जायगी।
5. हाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ–सफाई एव पानी की सारी व्यवस्था लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट मे किसी राजनीति सभा नही की जायगी।
6. लेसत की जमीन पर किसी भी प्रकार के स्थायी सरचना का निमार्ण नही किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेदारी होगी।
7. हाट ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली पूर्व निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बही रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापा कल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को ही करनी होगी।
8. बाढ़ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट नहीं लगने पर बन्दोवस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नही होगा।
9. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट में अस्थाई/स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नही होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेही हाट ठेकेदार/बन्दोवस्तदार की होगी।

10. संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाब देही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री नही होने दे। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगें। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगा।

11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोवस्ती अस्वीकृत (रद्द) करने अथवा हाट की नीलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं मुद्रांक शुल्क/ निबंधन शुल्क (बन्दोवस्त राशि का निबंधन शुल्क एवं स्टाम्फ शुल्क5%) डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

अनुमण्डल पदाधिकारी, –सह–
विशेष सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि)किशनगंज।

ज्ञापांक 542 /अनु0सा0 दिनांक 28-06- /2019

तिलिपि :–अनुमण्डल नाजीर, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
तिलिपि :– सभी थानाध्यक्ष, किशनगंज अनुमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
तिलिपि :–आई.टी.मनैजर, किशनगंज को **किशनगंज जिला के बेवसाईड** पर अपलोड कराना सुनिश्चत करेंगे।
तिलिपि :– थानाध्यक्ष, किशनगंज अनुमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
तिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सम्बन्धित पंचायत के मुखियॉ को सूचनार्थ एवं बृहत प्रचारार्थ प्रेषित।
तिलिपि :– सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, किश्नगंज/ जिला मत्यस्य पदाधिकारी, किशनगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज/नगर पंचायत, बहादुरगंज /ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं बृहत प्रचारार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी,किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित उन्हें निदेश दिया जाता है कि जनसम्पर्क निदेशालय,बिहार पटना से सम्पर्क स्थापित कर दो हिन्दी एवं उर्दू दैनिक समाचार पत्रों के कोशी संस्करण में सैरातों की बन्दोवस्ती से संबंधित आम सूचना प्रकाशित कराना सुनिश्चत करेंगे ।
प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, किशनगंज को सूचनार्थ ।
प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, किशगनंज कृपया को सूचनार्थ।

अनुमण्डल पदाधिकारी, –सह–
विशेष सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि)किशनगंज।